UPPB010005922026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, पीलीभीत

पीठासीन अधिकारी–रविन्द्र कुमार–चतुर्थ, एच0जे0एस0–UPID2014

सत्र वाद संख्या–190/2026

उत्तर प्रदेश राज्य ....अभियोजन पक्ष

बनाम

1–मो0 आरिफ पुत्र शफी बख्श,
2–शफी बख्श पुत्र अमीर बख्श,
दोनों निवासीगण ग्राम–उगनपुर मरौरी, थाना–बीसलपुर, जिला–पीलीभीत।
...........अभियुक्तगण

मुकदमा अपराध संख्या–444/2025,
अन्तर्गत धारा–85, 80(2), 115(2)/3(5), 123,
352 भारतीय न्याय संहिता
एवं धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम,
थाना–बीसलपुर, जिला–पीलीभीत।

निर्णय

1. इस मामले में थाना–बीसलपुर, जिला–पीलीभीत की पुलिस द्वारा विवेचनोपरान्त, मुकदमा अपराध संख्या–444/2025, दिनांकित–31.08.2025 के मामले में अभियुक्तगण मो0 आरिफ एवं शफी बख्श के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–85, 80(2), 115(2), 123, 352 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में आरोप–पत्र संख्या–18/2026, दिनांकित–18.01.2026 प्रेषित किये जाने पर यह मामला संस्थित हुआ। मामला सत्र परीक्षणीय होने के कारण, तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीलीभीत द्वारा अभियुक्तगण की पत्रावली दिनांक–28.01.2026 को इस न्यायालय को सुपुर्द की गई।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि वादी मुकदमा रशीद अली पुत्र स्व0 चन्दे अली, निवासी–मोहल्ला हरदयाल कूंचा, कस्बा व थाना–पुवायां, जिला–शाहजहांपुर के द्वारा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बीसलपुर, जिला–पीलीभीत को इस आशय की टाईपशुदा तहरीर दी गई है कि उसने दो वर्ष पूर्व अपनी लड़की मुस्कान उर्फ मैसर जहां का निकाह आरिफ पुत्र शफी बख्श से मुस्लिम रीति–रिवाज से किया था। उसने शादी में अपनी सामर्थ्य के अनुसार खर्चा किया था लेकिन उसकी लड़की के ससुरालीजन इससे संतुष्ट नहीं थे। उसकी लड़की का पति आरिफ व उसके परिवारिजनों ने दहेज में चार पहिया गाड़ी की मांग की। गाड़ी न देने पर आये दिन उसकी लड़की के साथ गाली–गलौज, मारपीट व उत्पीड़न करते थे। दिनांक–31.08.

Digitally signed by RAVINDRA KUMAR
Date: 2026.07.25 17:48:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

2025 को उसको सूचना मिली कि उसकी लड़की की तबियत खराब है, जब वह अपनी लड़की के घर गया तो उसकी लड़की की मृत्यु हो चुकी थी। गांव के कुछ लोगों से ज्ञात हुआ कि उसकी लड़की को जहर देकर मारा गया है। टाईपशुदा तहरीर दिनांकित–31.08.2025, पत्रावली पर **प्रदर्श क**–1 के रूप में मौजूद है।

3. वादी मुकदमा रशीद अली द्वारा प्रस्तुत टाईपशुदा तहरीर दिनांकित–31.08.2025 **प्रदर्श क**–1, के आधार पर उसी दिनांक को ही समय 19:55 बजे, थाना–बीसलपुर, जिला–पीलीभीत पर मुकदमा अपराध संख्या–444/2025, अन्तर्गत धारा–85, 80(2), 115(2), 123, 352 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, के अन्तर्गत वर्तमान अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत किया गया जो चिक/एफ0आई0आर0 पत्रावली पर **प्रदर्श क**–2 के रूप में मौजूद है।

4. दिनांक–17.03.2026 को इस न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण मो0 आरिफ एवं शफी बख्श के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–85, 80(2), 115(2)/3(5), 123, 352 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा–4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, में विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इनकार कर, विचारण की मांग की।

5. अभियोजन पक्ष द्वारा, इस मामले के अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध, आरोप व अपने कथानक को साबित करने के लिए **मौखिक साक्ष्य** के रूप में:–

पी0डब्लू0–1 रशीद अली, जो इस मामले का वादी मुकदमा व मृतका मुस्कान उर्फ मैसर जहां का पिता है, जिसने इस प्रकरण की टाईपशुदा तहरीर दिनांकित–31.08.2025 को **प्रदर्श क**–1 के रूप में साबित किया है,

पी0डब्लू0–2 मो0 इशहाक जो वादी मुकदमा/**पी0डब्लू0**–1 एवं इस प्रकरण की मृतका मुस्कान उर्फ मैसर जहां का रिश्तेदार है,

पी0डब्लू0–3 मो0 नूर, जो वादी मुकदमा/**पी0डब्लू0**–1 रशीद अली का पुत्र एवं इस प्रकरण की मृतका मुस्कान उर्फ मैसर जहां का सगा भाई है,

पी0डब्लू0–4 शहनूर मोहम्द, जो वादी मुकदमा/**पी0डब्लू0**–1 रशीद अली का पुत्र एवं **पी0डब्लू0**–2 मो0 इशहाक व इस प्रकरण की मृतका मुस्कान उर्फ मैसर जहां का सगा भाई है।

दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में:–

प्रदर्श क–1 टाइपशुदा तहरीर दिनांकित–31.08.2025 जो वादी मुकदमा/**पी0डब्लू0**–1 रशीद अली द्वारा साबित, जिसमें घटना का दिनांक–31.08.2025 व समय अद्म तहरीर बताया गया है,

प्रदर्श क–2 चिक/एफ0आई0आर0 दिनांकित–31.08.2025 जिसमें थाने पर सूचना का समय 19:55 बजे व घटना का दिनांक–31.08.2025, समय अद्म तहरीर दिखाया गया है, जो इस इस मामले से सम्बन्धित है, अन्तर्गत धारा–85, 80(2), 115(2), 123, 352 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना–बीसलपुर, जिला–पीलीभीत पर अभियुक्तगण के विरूद्ध नामजद दर्ज,

प्रदर्श क–3 इस मामले से सम्बन्धित मुकदमा कायमी दिनांकित–31.08.2025 जी0डी0, नम्बर–54,

प्रदर्श क–4 इस मामले से सम्बन्धित ''पंचायतनामा'' दिनांकित–31.08.2025 बाबत् मृतका मुस्कान उर्फ मैसर जहां, जिसमें राय पंचान के अनुसार ''मृतका मुस्कान उर्फ मैसर जहां की मृत्यु जहर खिलाने के कारण'' होना बताया गया है,

प्रदर्श क–5 इस मामले से सम्बन्धित चालान–नाश,

प्रदर्श क–6 इस मामले से सम्बन्धित नमूना–मोहर,

प्रदर्श क–7 इस मामले से सम्बन्धित फोटो–नाश,

प्रदर्श क–8 इस मामले से सम्बन्धित चिट्ठी–आर0आई0,

प्रदर्श क–9 इस मामले से सम्बन्धित चिट्ठी–सी0एम0ओ0,

प्रदर्श क–10 इस मामले से सम्बन्धित ''नक्शा–नजरी घटनास्थल'' अदिनांकित जिसमें विवेचक द्वारा चिन्ह 1 व 2 से भडरिया से खुदागंज आने–जाने का मेन रास्ता, चिन्ह 3 व 4 से घटनास्थल को आने–जाने का रास्ता, चिन्ह A, B, C, D से मकान मृतका ससुराल/अभियुक्तगण, उसी के अन्दर चिन्ह ⓧ से घटनास्थल दर्शाया गया है,

प्रदर्श क–11 इस मामले से सम्बन्धित आरोप–पत्र संख्या–18/2026, दिनांकित–18.01.2026, विरूद्ध अभियुक्तगण मो0 आरिफ एवं शफी बख्श, अन्तर्गत धारा–85, 80(2), 115(2), 123, 352 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में प्रस्तुत है,

प्रदर्श क–12 इस मामले से सम्बन्धित विधि विज्ञान प्रयोगशाला, मुरादाबाद की जांच रिपोर्ट दिनांकित–13.11.2025, बाबत मुकदमा अपराध संख्या–444/2025, अन्तर्गत धारा–85, 80(2), 115(2), 123, 352 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, विरूद्ध अभियुक्तगण मो0 आरिफ आदि, जिसमें परीक्षण परिणाम विसरा के भागों (1–5) में ऑरगेनोक्लोरो इन्सैक्टीसाईड विष पाया जाने किन्तु यह वस्तु (6) में नहीं होना अंकित है,

प्रदर्श क–13 ''पोस्टमार्टम'' रिपोर्ट दिनांकित–31.08.2025 जिसमें मृतका मुस्कान उर्फ मैसर जहां के शव की ऊंचाई 142 से0मी0, शव पर कुल वस्तु व वस्त्र 05 नग होने, शव की बनावट औसत कद–काठी होने, शव पर निचले व ऊपरी अंगों में अकड़न मौजूद होने, शव वातावरण के अनुकूल होने, नाखुन पीले पड़ होने, दोनों आंखे खुली बन्द होने और मुंह आधा खुला होने,

बाह्य चोटें:– कोई नहीं होने,

आन्तरिक परीक्षण:– मस्तिष्क का वजन 1000 ग्राम व कन्जेस्टेड होने, हाइड बोन इन्टेक्ट होने, दाहिना फेफड़ा 450 ग्राम व कन्जेस्टेड होने, बायां फेफड़ा 400 ग्राम होने, हृदय का वजन 250 ग्राम होने, दाहिना चैम्बर भरा होने व बायां चैम्बर खाली होने, अमाशय में 300 एम0एल0 द्रव्य मौजूद होने, छोटी आंत में कायम और गैस मौजूद होने, बड़ी आंत में गैस मौजूद होने, मुकोसा कन्जेस्टेड होने, गॉल ब्लेडर भरा होने, लीवर का वजन

1000 ग्राम होने, प्लीहा का वजन 180 ग्राम व कन्जेस्टेड होने, दाहिनें व बायें गुर्दें 100–100 ग्राम व कन्जेस्टेड होने,

मृत्यु का सम्भावित समय व कारणः– मृत्यु का तात्कालिन कारण स्पष्ट न होने के कारण विसरा प्रिर्जव कर जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट/निष्कर्ष में ऑरगेनोक्लोरो इन्सैक्टीसाईड विष पाया जाना अंकित है।

वस्तु प्रदर्शः– कोई नहीं।

6. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता, दिनांक–23.07.2026 को अंकित किये गये, जिनमें अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक के सम्बन्ध में लोगों के बरगलाने से बाद में प्रार्थना–पत्र दिये जाने, गलत आरोप–पत्र दाखिल करने, **पी0डब्लू0**–1 की साक्ष्य के सम्बन्ध में लोगों के बरगलाने से दबाब में बयान देने, **पी0डब्लू0**–2, **पी0डब्लू0**–3 एवं **पी0डब्लू0**–4 की साक्ष्य के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना कहा तथा अभियुक्तगण के द्वारा यह भी कथन किया गया कि झूठा मुकदमा चला, वे निर्दोष हैं। अभियुक्त मो0 आरिफ द्वारा यह भी कथन किया गया है कि उसे लोगों के बरगलाने से झूठा फंसाया गया है। उसने अपनी पत्नी को हमेश लाड़–प्यार से रखा। कभी दहेज की मांग नहीं की और न ही दहेज के लिए प्रताड़ित किया। दवा के धोखे में जहरीला पदार्थ खा लिया, उसके द्वारा मायके वालों को सूचना दी गई और उसको इलाज के लिए बीसलपुर व बरेली ले गया लेकिन बच नहीं पायी। इसी तरह अभियुक्त शफी बख्श के द्वारा कहा गया है कि उसे लोगों के बरगलाने से झूठा फंसाया गया है। उसने अपनी पुत्रवधू को हमेश लाड़–प्यार से रखा। कभी दहेज की मांग नहीं की और न ही दहेज के लिए प्रताड़ित किया। दवा के धोखे में जहरीला पदार्थ खा लिया उकसे द्वारा ही मायके वालों को सूचना दी गयी और उसका इलाज कराने बीसलपुर व बरेली ले गया लेकिन नहीं बची।

अभियुक्तगण द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में कोई मौखिक/सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने से इनकार किया गया है।

7. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का भली–भॉति अवलोकन व परिशीलन किया गया।

8. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा दौरान बहस कहा गया है कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका मुस्कान उर्फ मैसर जहां, जो अभियुक्त मो0 आरिफ की पत्नी थी, को दहेज में चार पहिया गाड़ी की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट कर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, इसी के चलते उसकी शादी के सात साल के अंदर दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे अपने घर में जहर देकर उसकी दहेज मृत्यु की गई है। ऐसा करके अभियुक्तगण ने एक नवविवाहिता/मृतका मुस्कान उर्फ मैसर जहां की दहेज मृत्यु का अपराध कारित किया है। मृतका का निकाह अभियुक्त मो0 आरिफ के साथ घटना से करीब दो वर्ष पूर्व हुआ था, जिसको अभियुक्तगण ने दिनांक–31.08.2025 को जहर देकर उसके विवाह के सात साल के अन्दर उसकी दहेज मृत्यु अपने घर में ही कर दी। जिसके सम्बन्ध में वादी मुकदमा द्वारा टाईपशुदा तहरीर **प्रदर्श क**–1 थाना–बीसलपुर, जिला–पीलीभीत पर दी गयी जिसके आधार पर वर्तमान अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा दर्ज

किया गया।

अभियोजन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि तथ्य के साक्षीगण **पी0डब्लू0**–1 रशीद अली वादी मुकदमा, **पी0डब्लू0**–2 मो0 इशहाक, **पी0डब्लू0**–3 मोहम्मद नूर एवं **पी0डब्लू0**–4 शहनूर मोहम्मद के साक्ष्य से मामला अभियुक्तगण के विरूद्ध साबित है। यह मामला अभियुक्तगण के विरूद्ध पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेज से पूर्णतया सभी युक्ति–युक्त संदेहों से परे, साबित है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर दण्डित किये जाने की याचना की गई है।

9. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस तर्क दिया गया है कि तहरीर के कथन, अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये तथ्य के साक्षियों द्वारा किये गये कथनों से पूर्णतया असंगत हैं। अभियोजन कथानक सर्वथा असत्य/अविश्वसनीय है। अभियोजन पक्ष यह भी साबित नहीं कर पाया है कि मृतका मुस्कान उर्फ मैसर जहां से अभियुक्तगण ने कभी कोई दहेज की विशिष्ट मांग, कब किस विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा की गई एवं उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया हो। इस प्रकरण में, अभियोजन पक्ष, विवाह के सात वर्ष के अन्दर सामान्य परिस्थितियों/हालातों में, मृतका की मृत्यु होना साबित नहीं कर पाया है। आरोपित अपराध में अभियुक्तगण की कोई भूमिका नहीं है, वे निर्दोष हैं। तथ्य के साक्षीगण द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। मृतका लगातार सिर दर्द से परेशान रहती थी इसीलिए उसने धोखे से कोई जहरीला पदार्थ खा लिया जिससे अभियुक्तगण पहले इलाज हेतु बीसलपुर ले गये और वहां से बेहतर इलाज हेतु बरेली ले जा रहे थे कि रास्ते में ही मृतका की मृत्यु हो गयी। उस समय मृतका के मायके वाले भी साथ में थे लेकिन बीसलपुर में डाक्टर के दिखाने के दौरान उसका मृत्यु कालिक कथन लेने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। अभियुक्तगण ने उससे कभी दहेज की मांग नहीं की और न ही दहेज की खातिर मारपीट कर प्रताड़ित किया। अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित आरोप युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित नहीं होते हैं। अतः अभियुक्तगण को संदेह का लाभ दिया जा कर, उनके विरूद्ध लगे आरोपों से दोषमुक्त किया जाये।

निष्कर्ष

10. इस मामले में अब न्यायालय को मुख्य रूप से यह देखना है कि:–

क्या अभियुक्त मो0 आरिफ, जो कि मृतका मुस्कान उर्फ मैसर जहां का पति है एवं अभियुक्त शफी बख्श, जो मृतका का ससुर है, के द्वारा विवाहिता/मृतका से अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर, सामान्य आशय के अग्रसारण में, उसके साथ मारपीट कर एवं प्रताड़ित कर, उसके साथ मानसिक व शारीरिक क्रूरता की गई तथा उसकी दहेज मृत्यु, सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा कारित की गई एवं उससे अतिरिक्त दहेज की मांग की गई ?

11. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने कथानक व उपरोक्त निर्णायक बिन्दु के सापेक्ष **पी0डब्लू0**–1 के रूप में रशीद अली, जो कि इस प्रकरण में वादी मुकदमा तथा इस मामले की मृतका मुस्कान उर्फ मैसर जहां का पिता है, को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि उसने अपनी पुत्री मुस्कान उर्फ मैसर जहां का निकाह मो0 आरिफ के साथ अपनी हैसियत के अनुसार दान–दहेज देकर किया था। दिये गये दान–दहेज से मो0 आरिफ व उसके परिवारिजन खुश नहीं थे और उसकी लडकी से दहेज में चार पहिया गाड़ी की मांग करते थे। मांग पूरी न होने पर उसकी लड़की के साथ गाली–गलौज व मारपीट करते

थे। उसने इन लोगों को तीन–चार बार समझाया। आखिरी बार घटना से लगभग पन्द्रह दिन पहले लड़की को लेने गया था तब समझाया था। उस समय उसकी लड़की ने बताया था कि ये लोग दहेज के लिए बहुत परेशान करते है और मारपीट करते है। वह समझाकर वापस चला आया था। दिनांक–30.08.2025 को उसे सूचना मिली कि उसकी लड़की की तबियत खराब है, वह और उसके दामाद इशाद मोहम्मद अपनी लड़की को देखने के लिए बीसलपुर गये थे तो लड़की नागेश पाठक के अस्पताल में मिली थी। डाक्टर नागेश पाठक ने उससे कहा कि इसकी तबियत बहुत ज्यादा खराब है इसे बरेली ले जाओ। फिर लड़की को बरेली ले गये। बरेली में डाक्टरों ने देखकर कहा कि उसकी लड़की की मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद लड़की के शव को वापस ले आये। मुल्जिमान ने दहेज के लिए जहर देकर उसकी लड़की की हत्या कर दी। पुलिस आयी थी, पुलिस ने उसकी लड़की के शव का पंचायतनामा किया था। पंचायतनामा पर उसने अपनी राय अंकित की थी और अपने हस्ताक्षर बनाये थे। प्रार्थना–पत्र टाईप कराकर थाने पर दाखिल किया था और मुकदमा कायम कराया था। टाईपिंग की गलती से सूचना मिलने की तारीख 31.08.2025 प्रार्थना–पत्र में अंकित हो गयी है। उसके द्वारा थाने पर प्रस्तुत तहरीर को **प्रदर्श क**–1 के रूप में साबित किया गया है।

बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में इस साक्षी ने कहा है कि उसकी लड़की के ससुर ने फोन किया था तब ये लोग अपनी लड़की की ससुराल बीसलपुर गये थे। उसकी लड़की को डाक्टर नागेश के यहां इलाज हेतु उसके दामाद लेकर आये थे। डाक्टर नागेश ने लड़की को बरेली ले जाने को कहा फिर उसकी ससुराल वाले व ये सभी लोग बरेली इलाज के लिए ले गये लेकिन अस्पताल में दाखिल होने से पहले उसकी मृत्यु हो गयी। उसकी लड़की अपनी ससुराल में सदैव प्रेम से रही। ससुराल वालो ंने उससे व उसकी लड़की से कभी कोई दहेज की मांग नहीं की, न ही प्रताड़ित किया। दिनांक–31.08.2025 को लगभग 10:00 बजे उसने थाने पर एक प्रार्थना–पत्र पंचायतनामा व पोस्टमार्टम कराने के लिए दिया था। उसमे भी उसने दहेज की मांग व प्रताड़ना के सम्बन्ध में कोई बात नहीं लिखी है, न ही पंचायतनामा के समय भी उसने दहेज की मांग व प्रताड़न के सम्बन्ध में बतायी। बाद में उसने लोगों के बरगलाने से अभियुक्तगण के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया था। इससे पूर्व उसका बयान न्यायालय में हुआ था वह उसने बरगलाने व दबाब में दिया था। उसकी लड़की के सिर में शादी के पहले से दर्द होता था जिसका इलाज शादी से पहले उसने व शादी के बाद ससुराल वालों ने कराया था। दर्द से उसकी लड़की काफी परेशान हो जाती थी उसी परेशानी में उसकी लड़की ने दवा के धोखे से कीटनाशक पी लिया। वह पन्द्रह दिन पूर्व घटना के पहले अपनी लड़की से मिलने नहीं गया था और न ही उसकी लड़की ने उससे कभी दहेज की मांग की बात बतायी।

साक्षी को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है तथा अभियोजन पक्ष को उससे जिरह करने की अनुमति दी गयी। जिसमें इस साक्षी ने कहा है कि लगभग 55–60 दिन पूर्व उसका बयान इसी न्यायालय में हुआ था। उस दिन वह गवाही देने अपने निजी वकील के साथ आया था उन्होंने जो कहा था उनके सिखाने पर उसने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान दिया था। आज वह सही बयान दे रहा है।

12. **पी0डब्लू0**–2 मोहम्मद इशहाक, जो वादी मुकदमा/**पी0डब्लू0**–1 रशीद अली व इस प्रकरण की मृतका मुस्कान उर्फ मैसर जहां का रिश्तेदार है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना को लगभग साल भर होने को है। घटना वाले दिन उसके रिश्ते की साली ने दर्द से परेशान होकर धोखे से जहरीली चीज खा ली थी। मृतका को दहेज के खातिर मो0

आरिफ व शफी बख्श ने कभी परेशान नहीं किया, न ही कभी मारपीट कर प्रताड़ित किया। खबर पाकर वह भी मौके पर पहुंचा था तो वहां पहले से मौजूद पुलिस पंचायतनामा तैयार कर रही थी और थाने पर बुलाकर पंचायतनामे पर उसके दस्तखत करा लिए। पुलिस ने उसका बयान नहीं लिया था। अभियोजन पक्ष द्वारा की गई जिरह में इस साक्षी ने कहा है कि शादी घटना से उसके अन्दाज में तीन–चार साल पहले हुई थी। वह बराबर रिश्ते के साढ़ू मो0 आरिफ के घर आया–जाया करता था। उसकी साली मुस्कान उर्फ मैसर जहां ने कभी भी मारपीट, दहेज मांगने वाली बात उसे नहीं बतायी थी। इस साक्षी ने विवेचक को दिये गये बयान अन्तर्गत धारा–180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से इनकार किया गया है और कथन किया है कि ऐसा भी नहीं है कि राजीनामा हो जाने की वजह से वह सही बात नहीं बता रहा है। यह कहना गलत है कि अभियुक्त शफी बख्श उसके फूफा व आरिफ उसका फुफेरा भाई है, जिनको बचाने के लिए उसने आज गलत बयानी की हो।

बचाव पक्ष द्वारा अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी इस साक्षी से कोई जिरह नहीं की गई है।

13. **पी0डब्लू0**–3 मोहम्मद नूर, जो वादी मुकदमा/**पी0डब्लू0**–1 रशीद अली, का पुत्र एवं इस प्रकरण की मृतका मुस्कान उर्फ मैसर जहां का भाई है, ने भी अपने साक्ष्य में **पी0डब्लू0**–2 के कथनों का ही समर्थन किया है और इस साक्षी ने भी अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है।

बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में इस साक्षी ने कहा है कि अभियुक्तगण उसकी बहन को प्रेम से रखते थे। अभियुक्तगण का उसकी बहन से कभी कोई विवाद नहीं हुआ था। उसकी बहन के लगातार सिर में दर्द रहता था जिसकी दवाई चलती रहती थी। दवाई के धोखे में उसकी बहन ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई।

14. **पी0डब्लू0**–4 शहनूर मोहम्मद, जो वादी मुकदमा/**पी0डब्लू0**–1 रशीद अली का पुत्र एवं **पी0डब्लू0**–3 मोहम्मद नूर व इस प्रकरण की मृतका मुस्कान उर्फ मैसर जहां का भाई है, ने भी अपने साक्ष्य में **पी0डब्लू0**–2 व **पी0डब्लू0**–3 के कथनों का ही समर्थन किया है और इस साक्षी ने भी अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है।

बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में इस साक्षी ने कहा है कि अभियुक्तगण उसकी बहन को प्रेम से रखते थें। अभियुक्तगण से उसकी बहन का कोई विवाद नहीं होता था। उसकी बहन लगातार सिर दर्द से परेशान रहती थी इसीलिए धोखे से उसने कोई जहरीला पदार्थ पी लिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई।

15. इस मामले में, अभियोजन पक्ष द्वारा तथ्य के कुल 04 (चार) साक्षीगण परीक्षित कराये गये हैं और इन सभी साक्षीगण **पी0डब्लू0**–1 वादी मुकदमा रशीद अली, जो इस प्रकरण की मृतका मुस्कान उर्फ मैसर जहां का पिता है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में मृतका मुस्कान उर्फ मैसर जहां का निकाह, घटना से दो वर्ष पूर्व मो0 आरिफ के साथ करने, उसके द्वारा दिये गये दान–दहेज से मो0 आरिफ व उसके परिवार वाले संतुष्ट नहीं होने, दहेज में मो0 आरिफ, शफी बख्श, जेठ निसार, जेठ अबरार, ननद नाजरीन, ननद आसमा द्वारा चार पहिया गाड़ी की मांग करने, इन लोगों की दहेज की मांग पूरी न होने पर, इन लोगों द्वारा मृतका के साथ गाली–गलौज व मारपीट करने, अपनी लड़की की मृत्यु से लगभग पन्द्रह दिन पूर्व मो0 आरिफ

व उसके घर वालों को समझाने लड़की की ससुराल जाने, दिनांक—30/31.08.2025 को उसे लड़की की तबियत खराब होने की सूचना मिलने और सूचना पर उसके अपनी लड़की की ससुराल जाने, उसकी लड़की बीसलपुर में डाक्टर नागेश पाठक के अस्पताल में मिलने, डाक्टर द्वारा उसकी लड़की की तबियत ज्यादा खराब होने पर उसे बरेली ले जाना कहने, लड़की को बरेली जे जाने तथा डाक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित करने, अभियुक्तगण द्वारा मृतका को दहेज के लिए जहर देकर उसकी हत्या करने, मृतका के पंचायतनामे पर अपनी राय तथा हस्ताक्षर करने का कथन किया है,।

इस साक्षी के साक्ष्य का गहनता से परिशीलन करने पर यह भी स्पष्ट है कि उसके द्वारा अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप सामान्य प्रकृति के हैं। उसके द्वारा यह नहीं बताया गया है कि किस अभियुक्त के द्वारा दहेज मांगा गया और कब—कब व किस—किस समय/अवसर पर मांगा गया और किस दिन मुस्कान उर्फ मैसर जहां का निकाह अभियुक्त मो0 आरिफ के साथ हुआ था। ऐसे ही कथन वादी मुकदमा/**पी0डब्लू0**—1 द्वारा मृतका मुस्कान उर्फ मैसर जहां से मारपीट किये जाने के सम्बन्ध में किये गये हैं लेकिन किस अभियुक्त ने उसे मारा—पीटा इस सम्बन्ध में भी इस साक्षी ने यह स्पष्ट नहीं किया है। जबकि बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में इस साक्षी ने अभियोजन कथानक का समर्थन ही नहीं किया है। अभियोजन पक्ष द्वारा की गयी जिरह में भी इस साक्षी ने मुख्य रूप से कहा है कि लगभग 55—60 दिन पूर्व उसका बयान इसी न्यायालय में हुआ था। उस दिन वह गवाही देने अपने निजी वकील के साथ आया था उन्होंने जो कहा था उनके सिखाने पर उसने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान दिया था। आज वह सही बयान दे रहा है।

16. इसी प्रकार तथ्य के साक्षीगण **पी0डब्लू0**—2 मोहम्मद इशहाक, जो वादी मुकदमा/**पी0डब्लू0**—1 रशीद अली व इस प्रकरण की मृतका मुस्कान उर्फ मैसर जहां का रिश्तेदार है, **पी0डब्लू0**—3 मोहम्मद नूर, जो वादी मुकदमा/**पी0डब्लू0**—1 रशीद अली, का पुत्र एवं इस प्रकरण की मृतका मुस्कान उर्फ मैसर जहां का भाई है, **पी0डब्लू0**—4 शहनूर मोहम्मद, जो वादी मुकदमा/**पी0डब्लू0**—1 रशीद अली का पुत्र एवं **पी0डब्लू0**—3 मोहम्मद नूर व इस प्रकरण की मृतका मुस्कान उर्फ मैसर जहां का भाई है, ने भी अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। तथ्य के इन साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में साफतौर पर एवं एक स्वर में कहा है कि अभियुक्तगण ने मृतका से कभी दहेज की मांग नहीं की और न ही दहेज के लिए उसे मारपीट कर मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। मृतका को शादी के पूर्व से ही सिर में दर्द रहता था जिससे वह काफी परेशान रहती थी इसी के चलते उसने दवाई के धोखे में कोई जहरीला पदार्थ खा लिया। अभियुक्तगण द्वारा उसे इलाज हेतु पहले बीसलपुर ले जाया गया उसके बाद बेहतर इलाज हेतु बरेली ले जाते समय उसकी रास्ते में मृत्यु हो गयी। मृतका की मृत्यु में अभियुक्तगण का कोई हाथ नहीं है। वादी मुकदमा ने लोगों के बरगलाने से अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करा दिया था। वादी मुकदमा द्वारा भी स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि उसने लोगों के बरगलाने से अभियुक्तगण के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया था। इससे पूर्व उसका बयान न्यायालय में हुआ था वह उसने बरगलाने व दबाब में दिया था। इस प्रकरण में तथ्य के सभी साक्षीगण ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और इन साक्षीगण से अभियोजन पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में भी ऐसा कोई तथ्य उजागर नहीं हुआ, जिससे अभियोजन पक्ष को कोई बल/लाभ मिलता हो।

17. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखीय व मौखिक साक्ष्य से इस

न्यायालय की राय, में अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा–85, 80(2), 115(2)/3(5), 123, 352 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा–4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, के जो आरोप लगाये गये हैं, उन्हें सभी युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अर्थात् अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित नहीं किया जा सका कि अभियुक्तगण द्वारा ही कथित दहेज प्रताड़ना कर, मृत्यु के कुछ समय पूर्व, सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा दहेज मृत्यु का अपराध कारित किया गया हो।

"अभियोजन पक्ष को अपना मामला अभियुक्तगण के विरूद्ध विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत कर, सभी युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित करना होता है।" 'केवल संदेह के आधार पर, विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में, अभियुक्तगण को सजा नहीं दी जा सकती"।

18. माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा सम्मानित विधि व्यवस्था **बाबूराम इत्यादि बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 2008 (2) एस.सी.सी. (क्रिमिनल) 727** में कहा गया है कि " दाण्डिक परीक्षण के वाद में अभियोजन के द्वारा अपने कथानक को संदेह से परे सिद्ध करना आवश्यक होता है। यदि अभियोजन पक्ष अपने कथानक को अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे सिद्ध नहीं कर पाता है तो अभियुक्त को दोषमुक्त किया जायेगा। "

इसी क्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **'एम0एस0 रॉय बनाम बंगाल राज्य' (2003)12 एस0सी0सी0 337** के मामले में अवधारित कर कहा गया है। इसके अलावा **'बिशनदास बनाम पंजाब राज्य' ए0आई0आर0 1975 एस0सी0 573** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित कर कहा गया है कि "Prosecution must prove its case. Even silence of accused is of no consequence."

19. इस प्रकार, इस मामले में अभियोजन पक्ष इस प्रकरण के मुख्य निर्णायक बिन्दु कि:–

क्या अभियुक्त मो0 आरिफ, जो कि मृतका मुस्कान उर्फ मैसर जहां का पति है एवं अभियुक्त शफी बख्श, जो मृतका का ससुर है, के द्वारा विवाहिता/मृतका से अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर, सामान्य आशय के अग्रसारण में, उसके साथ मारपीट कर एवं प्रताड़ित कर, उसके साथ मानसिक व शारीरिक क्रूरता की गई तथा उसकी दहेज मृत्यु, सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा कारित की गई एवं उससे अतिरिक्त दहेज की मांग की गई ?, को अपने पक्ष में, व इस मामले के अभियुक्तगण के विरूद्ध सभी युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित करने में असफल रहा है।

20. परिणामतः इस प्रकरण में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियुक्तगण मो0 आरिफ पुत्र शफी बख्श एवं शफी बख्श पुत्र अमीर बख्श को आरोपित आरोप अंतर्गत धारा–85, 80(2), 115(2)/3(5), 123, 352 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा–4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, से विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

21. इस प्रकरण में, वादी मुकदमा/**पी0डब्लू0**–1 रशीद अली द्वारा प्रस्तुत की गयी तहरीर **प्रदर्श क**–1, में वर्णित अपराध सम्बन्धी कथन के सापेक्ष, न्यायालय में अपनी साक्ष्य/जिरह में उक्त कथनों का समर्थन नहीं किया गया है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। ऐसा करके वादी मुकदमा ने इस न्यायालय की राय में, न्यायालय के समक्ष असत्य कथन कर, मिथ्या साक्ष्य दिया है। ऐसी स्थिति में **पी0डब्लू0**–1, वादी मुकदमा रशीद अली पुत्र बन्दे अली, निवासी–मोहल्ला हरदयाल कूंचा, कस्बा व थाना–पुवायां, जिला–शाहजहांपुर के विरूद्ध अन्तर्गत

धारा–383 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कार्यवाही संस्थित किया जाना न्यायसंगत है।

आदेश

अभियुक्तगण मो0 आरिफ पुत्र शफी बख्श एवं शफी बख्श पुत्र अमीर बख्श, निवासीगण ग्राम–उगनपुर मरौरी, थाना–बीसलपुर, जिला–पीलीभीत को, बाबत मुकदमा अपराध संख्या–444/2025, थाना–बीसलपुर, जिला–पीलीभीत के मामले में, अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप, अंतर्गत धारा–85, 80(2), 115(2)/3(5), 123, 352 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा–4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, से दोषमुक्त किया जाता है।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त शफी बख्श जमानत पर है तथा वह न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है। इस अभियुक्त के मूल व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतनामें निरस्त किए जाते हैं तथा उनके जमानतियों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त मो0 आरिफ पूर्व से जिला कारागार, पीलीभीत में निरूद्ध है। अभियुक्त मो0 आरिफ जेल से तलब होकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित आया। अतः अभियुक्त का रिहाई आदेश अविलम्ब, अधीक्षक, जिला कारागार, पीलीभीत को प्रेषित किया जाये कि यदि अभियुक्त मो0 आरिफ किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो उसे तत्काल रिहा किया जाये।

अभियुक्तगण की ओर से धारा–481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधान के अनुपालन में व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतनामें प्रस्तुत किये जा चुके हैं, जो निर्णय के दिनांक से 06 माह तक अस्तित्व में रहेंगे।

इस मामले से सम्बन्धित वस्तु यदि कोई हो, वह इस मामले में अपील की समय सीमा समाप्त होने के पश्चात् अथवा उसके निस्तारण के बाद ही नियमानुसार निस्तारित हों।

पी0डब्लू0–1, वादी मुकदमा रशीद अली पुत्र बन्दे अली, निवासी–मोहल्ला हरदयाल कूंचा, कस्बा व थाना–पुवायां, जिला–शाहजहांपुर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–383 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कार्यवाही अविलम्ब संस्थित की जाये।

दिनांकः 25.07.2026

(रविन्द्र कुमार–चतुर्थ)
UPID2014
सत्र न्यायाधीश,
पीलीभीत

निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 25.07.2026

(रविन्द्र कुमार–चतुर्थ)
UPID2014
सत्र न्यायाधीश,
पीलीभीत